



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 477] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन विनियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के विनियम 10 में, खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(i) केन्द्रीय भंडारण निगम में विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि निम्नानुसार होगी:

प्रोन्नति	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से परिवीक्षा की अवधि
(क) एक समूह से अन्य समूह के पदों पर प्रोन्नति अर्थात् समूह 'घ' से समूह 'ग', समूह 'ग' से समूह 'ख' या समूह 'ख' से समूह 'क'	दो वर्ष
(ख) एक ही समूह के पदों के अंतर्गत अगले उच्च पद या वेतनमान में प्रोन्नति अर्थात् समूह 'ग' से समूह 'ग' में अगले उच्च पद या समूह 'ख' से समूह 'ख' में अगले उच्च पद या समूह 'क' से समूह 'क' में अगले उच्च पद	शून्य
सीधी भर्ती	
(क) ई-5 स्तर या इससे ऊपर या जहां आयु सीमा 35 वर्ष या इससे ज्यादा हो, तथा जहां प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं हो, के पदों पर नियुक्ति:	एक वर्ष;
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों के अलावा अन्य पद पर नियुक्ति	दो वर्ष;”

सोमनाथ आचार्य, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/4/असा./364/19]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या—सीडब्ल्यूसी/XIV-4/स्था. तारीख 28.02.1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के द्वारा संशोधित किए गए—

1. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 01.04.1987
2. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 19.06.1987
3. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 19.06.1987
4. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 29.01.1988
5. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 24.06.1988
6. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 09.06.1989
7. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 24.11.1989
8. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 15.10.1990
9. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 26.10.1990
10. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.11.1990
11. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 21.12.1990
12. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 08.02.1991
13. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.05.1991
14. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 04.10.1991
15. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 18.12.1992
16. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 29.12.1992
17. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.02.1993
18. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 08.03.1994
19. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.03.1995
20. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 14.11.1995
21. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.04.1996
22. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.05.1998
23. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 19.04.1999
24. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 10.06.1999
25. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 02.12.2002
26. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 27.02.2004
27. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.07.2004
28. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.01.2005
29. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 01.02.2006
30. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 31.03.2006
31. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.11.2006
32. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.11.2006
33. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 18.07.2008
34. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.02.2011
35. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.01.2014
36. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 11.04.2014
37. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.10.2014
38. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 21.09.2015
39. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.11.2015
40. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.12.2015

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT OF INDIA UNDERTAKING)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 10, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—
“(i) The period of probation prescribed for different posts in the Central Warehousing Corporation for every person regularly appointed either by direct Recruitment or by promotion shall be as under:

PROMOTION	Period of Probation from the date of assumption of charge
(a) Promotion from one Group to another Group of posts, that is, from Group 'D' to Group 'C', Group 'C' to Group 'B' or Group 'B' to Group 'A' :	Two years;
(b) Promotion to the next higher post or scale within the same Group of posts, that is, from Group 'C' to next higher post in Group 'C' or from Group 'B' to next higher post in Group 'B' or from Group 'A' to next higher post in Group 'A' :	Nil;
DIRECT RECRUITMENT	
(a) Appointment to the posts of the level E-5 or above or where age-limit is thirty-five years or above and where no training is involved:	One year;
(b) Appointment to a post other than the posts referred to in clause (a):	Two years”.

SOMNATH ACHARYA, General Manager (Personnel)

[ADVT.-III/4/Exty./364/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, *vide* Notification number CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987;
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987;
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988;
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988;
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989;
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989;
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990;

9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990;
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990;
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990;
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991;
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991;
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991;
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992;
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992;
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993;
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994;
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995;
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995;
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996;
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998;
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999;
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999;
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002;
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004;
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004;
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005;
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006;
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006;
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006;
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006;
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008;
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011;
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014;
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014;
37. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th October, 2014;
38. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st September, 2015;
39. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 2015;
40. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 2015;
41. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 23rd September, 2016.